न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/निर्णय व डिक्री/101/2017

मृत अब्दुल गफुरजी के वारिसान :–

1. मुस्मात हसीना बानो पत्नी नूर मोहम्मदजी
2. इमरान पुत्र नूर मोहम्मदजी
3. मोहम्मद सलीम पुत्र अब्दुल गफुरजी
4. मेहबूब मोहम्मद पुत्र अब्दुल गफुरजी

जातिगण मुसलमान निवासीगण घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली

..... अपीलार्थी

ब ना म

1. राज. सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी
2. ग्राम पंचायत जरिए सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली।

..... रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार उपस्थित।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या दो बाद तामील अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 20/03/2020

1. उपरोक्त अपील धारा 223 राज. टीनेंसी एक्ट के तहत् अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स की ओर से एक वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया गया था कि ग्राम घाणेराव के गत खसरा नम्बर 349 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी द्वित्तीय हाल खसरा नंबर 2473 रकबा 2.40 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि अपीलाण्ट्स की आवंटनशुदा खातेदारी की, काश्त व कब्जाशुद स्थित है। उपरोक्त भूमि मृत्तक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अब्दुल गफुरजी को दिनांक 11.7.68 को आवंटन हुई थी, जिसका राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया गया था, लेकिन बिना आधार के म्यूटेशन संख्या 651 के द्वारा अब्दुल गफुरजी का नाम राजस्व रेकर्ड में से हटा दिया, जिस बाबत उपरोक्त वाद पेश किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अदालत शिविर कैम्प कोर्ट के तहत अपीलाण्ट्स और अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में मैरिट पर निर्णित करते हुए खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध उपरोक्त अपील पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अपीलाण्ट और उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में ही बिना नोटिस दिए पत्रावली को कैम्प न्याय आपके द्वार में रखकर निर्णित किया है इसलिए अपील को अन्दर मयाद शुमार किए जाने का भी निवेदन किया है।

2. अपील दर्ज कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिए सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या दो बाद तामील अनुपस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

3. अपीलाण्ट्स अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को लोक अदालत शिविर घाणेराव न्याय आपके द्वार में प्रस्तुत होना बताते हुए वादीगण तमाम बावजूद सूचना अनुपस्थित दर्ज करते हुए अपीलार्थी के वाद को मैरिट पर निर्णित करते हुए इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलाण्ट्स के पूर्वज अब्दुल गफुर के पक्ष में दिनांक 11.7.68 को ग्राम घाणेराव के गत खसरा नंबर 349 में से 15 बीघा भूमि आवंटन कार्यवाही प्रदर्श–2 द्वारा आवंटन की गई थी और प्रदर्श–3 आवंटन आवेदन की प्रमाणित प्रति होना साबित माना, लेकिन आवंटन की पालना में दाखिल म्यूटेशन संख्या 651 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आवंटन अनुरूप कब्जा–काश्त नहीं है। इस संबंध में तनकी संख्या एक लगायत चार को अपीलाण्ट्स के विरुद्ध निर्णित करते हुए वाद को खारिज किया है, जो विधिनुसार नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत जवाबदावा अनुसार भी रेस्पोडेण्ट भूमिधारी द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपीलाण्ट्स के पिता/पति अब्दुल गफुरजी को आवंटन होना स्वीकार किया है, लेकिन कब्जा नहीं होने के संबंध में म्यूटेशन संख्या 651 को खारिज कर दिया है। इस संदर्भ में अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवंटन आदेश जब तक प्रभाव में है, तब तक आवंटी विधिक रूप से भूमि पर आधिपत्य रखने, काश्त करने का अधिकारी रहता है। आवंटन आदेश की पालना में दायर म्यूटेशन को खारिज किए जाने मात्र से आवंटन आदेश स्वतः ही निरस्त नहीं होता है। आवंटन आदेश को निरस्त सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जिसे आज दिनांक तक चुनौती नहीं दिया जाना स्वीकृत तथ्य है ऐसी स्थिति में आवंटन अनुरूप अपीलार्थी 10 साल बाद स्वतः ही गैरखातेदार से खातेदार हो जाता है। जहां तक अपीलार्थी का कब्जा नहीं होने के तथ्यों के संबंध में निवेदन है कि श्रीमान् के न्यायालय में ही पूर्व में इसी वाद से संबंधित धारा 212 के आवेदन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील संख्या 42/10 प्रस्तुत हुई थी, जिसमें श्रीमान् द्वारा मौके की रिपोर्ट भूमिधारी रेस्पोडेण्ट संख्या एक से तलब की गई थी, जो रिपोर्ट श्रीमान् के न्यायालय में प्राप्त हुई थी, जिसमें उपरोक्त भूमि पर कदीम से अपीलार्थी का गत खसरा नंबर 349 हाल खसरा नंबर 2473 रकबा 2.40 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा व काश्त है, जिसके संबंध में खसरा परिवर्तनशील पी–14 में भी कब्जा–काश्त दर्ज है, साथ ही फर्द मौका रिपोर्ट भी स्वयं भूमिधारी द्वारा तैयार कर भेजी गई है ऐसी स्थिति में स्वीकृत तथ्यों को साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं रहती है इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् तथा साक्ष्य के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से दस्तावेजी मौखिक साक्ष्य पेश की गई थी, जिसके दरकिनार करते हुए केवल वाद को खारिज किए जाने के उद्देश्य से ही वाद को खारिज किया है और यह माना कि उपरोक्त भूमि वर्तमान खसरा नंबर 2473 को दिनांक 22.4.99 को गौचर दर्ज कर दिया है और ग्राम पंचायत के खाते में बतौर गौचर दर्ज है। इस संबंध में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि जिस समय भूमि को अपीलाण्ट अब्दुल गफुर को आवंटन की गई थी, उस समय भूमि की किस्म बारानी दोयम थी और उसकी खसरा गिरदावरी संवत् 2026 से 2029 भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश हो चुकी है। जिस म्यूटेशन संख्यसा 651 का हवाला देते हुए वाद खारिज किया गया है, उक्त म्यूटेशन को खारिज करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया, न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। सेटलमेंट बाद उपरोक्त गत खसरा नंबर 349 के हाल खसरा नंबर 2473 रकबा 74.25 हैक्टेयर की किस्म भी बारानी ही दर्ज है, जिसे बाद में गौचर के रूप में दर्ज किया गया है इस आधार पर अपीलार्थी के वाद को खारिज नहीं किया जा सकता था। उपरोक्त भूमि को अपीलार्थी के कब्जे–काश्त की उपयोग–उपभोग की मानते हुए ही रेस्पोडेण्ट संख्या दो ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 8.12.10 को पत्र क्रमांक 232 द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, जिसमे भी उपरोक्त भूमि को अपीलार्थी अब्दुल गफुर को आवंटन होना तथा आवंटन अनुसार कब्जा–काश्त होना स्वीकार करते हुए गलत रूप से ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज होना स्वीकार किया है तथा उक्त भूमि को पुनः आवंटी के खातेदारी में दर्ज किए जाने की सिफारिश करते हुए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है इस कारण भी अपीलार्थी का वाद स्वीकार योग्य था। अपीलार्थी ने अपने वाद के संबंध में स्वयं अपीलार्थी मेहबूब, अन्य गवाहान सत्यनारायण, मानाराम, समसुद्दीन, सरूप के बयान करवाए हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में गत नक्शा ट्रेस, हाल नक्शा ट्रेस, आवंटन आदेश, आवंटन के लिए आवेदन–पत्र मय आदेश, लगान, सनद फीस की रसीद, खसरा गिरदावरी, मिलान क्षेत्रफल, विधिक नोटिस, पोस्टल रसीद, इत्यादि पेश किए हैं। खण्डन में रेस्पोडेण्ट्स की ओर से किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं हुई, फिर भी समस्त तनकियात को अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णित करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किए हैं, जो विधिक नहीं है। जब तक आवंटन आदेश प्रभाव में है, उसे चुनौती दी जाकर निरस्त नहीं करवा दिया जाता है तब तक आवंटन आदेश के आधार पर आवंटी खातेदार माना जाता है और खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

प्राप्त करने का अधिकारी रहता है, साथ ही आवंटनशुदा भूमि का राजस्व अभिलेख में प्रविष्टी करने का राजस्व अधिकारी का कर्त्तव्य है। खातेदारी उद्घोषणा हेतु विधि में कोई मयाद निर्धारित नहीं है। बिना पश्चात्वर्ती म्यूटेशन के आदेश को अलग से चुनौती दिए बिना ही खातेदारी घोषणा का वाद लाया जा सकता है। इस संबंध में 2019(1) आर.आर.टी. 688, 2013 आर.आर.डी. 205, 2012(2) आर. आर.टी. 1392, 2019(1) आर.आर.टी. 648, 2017(2) आर.आर.टी. 1355, 2004 आर.आर.डी. 728, 2011(2) आर.आर.टी. 1298, 2018–19 आर.आर.टी. 553, 2016(2) आर.आर.टी. 1099, 2016–17 आर.आर.टी. 219, 2005 आर.आर.डी. 85, 87, 724 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए। अंत में अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. सरकारी पैरोकार की ओर से निवेदन किया कि भूमि वर्तमान में गौचर दर्ज की जा चुकी है एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो के खाते में दर्ज है ऐसी स्थिति में खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं तथा अपीलार्थी को भूमि आवंटन अवश्य हुए थी, लेकिन आवंटन अनुसार कब्जा नहीं होने से आवंटन के आधार पर जो म्यूटेशन दायर किया गया था, वह खारिज किया जा चुका है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् निर्णय व डिक्री पारित किए गए हैं इसलिए अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को कैम्प कोर्ट में अपीलार्थी की अनुपस्थिति में मैरिट पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णित किया है इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मयाद शुमार किया जाता है। उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 5 तनकियात कायम की गई थी। तनकी संख्या एक "आया वादग्रस्त आराजी वादीगण की आवंटन व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कब्जा–काश्तशुदा है?" उपरोक्त तनकी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णित किया है कि प्रदर्श–5 म्यूटेशन संख्या 651 द्वारा आवंटी का कब्जा–काश्त नहीं होने से भूमिधारी द्वारा खारिज किया गया है और भूमि सिवाय चक दर्ज है, जिस बाबत खसरा गिरदावरी प्रदर्श–4 से प्रमाणित है, उक्त अस्वीकृत म्यूटेशन संख्या 651 की कोई अपील या निगरानी नहीं की गई थी ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि गत रेकर्ड में आवंटन व कब्जाशुदा वादीगण की माना जाना कत्तई उचित नहीं है। इस आधार पर तनकी को निर्णित कर दिया, लेकिन इस संबंध में कहीं भी फाईन्डिंग नहीं दी है कि जब अपीलार्थी को प्रदर्श–2 और 3 द्वारा उपरोक्त भूमि गत खसरा नंबर 349 रकबा 15 बीघा आवंटन आदेश द्वारा आवंटन की गई है, उक्त आदेश को कभी भी भूमिधारी द्वारा चुनौती दी गई अथवा नहीं दी गई, साथ ही चुनौती दी गई तो क्या प्रभाव रहा? क्योंकि अपीलार्थी को भूमि विधिवत् आदेश द्वारा आवंटन की गई है और आवंटन आदेश को निरस्त करने की अधिकारिता तहसीलदार भूमिधारी को नहीं होती है, क्योंकि उक्त आवंटन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है और आवंटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष तत्समय तहसीलदार ही होता था, जिसकी अपील जिला कलेक्टर न्यायालय में की जा सकती थी और केवल जिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा ही आवंटन को निरस्त किया जा सकता था। आवंटन की पालना में दायर म्यूटेशन को तकनीकी आधार पर खारिज किए जाने मात्र से ही आवंटन आदेश अथवा आवंटन रद्द नहीं हो जाता है और आवंटन प्रभाव में रहता है। आवंटन आदेश अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया जाना भूमिधारी का दायित्व व कर्त्तव्य होता है इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2019(1) आर.आर.टी. 688, 2013 आर.आर.डी. 205, 2012(2) आर.आर.टी. 1392 पूर्णरूपेण लागू होते हैं। इसके अलावा अपीलार्थी ने कब्जे–काश्त के संबंध में मौखिक साक्ष्य पेश की है, जिसका कोई खण्डन रेस्पोडेण्ट्स की ओर से नहीं हुआ है, साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अधीनस्थ न्यायालय में लगान की रसीदें, सनद फीस की रसीद, पी–14, इत्यादि दस्तावेज पेश हुए हैं, जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलार्थी का कब्जा–काश्त होना साबित होता है। इसके अलावा इस न्यायालय में स्वयं भूमिधारी तहसीलदार रेस्पोडेण्ट संख्या एक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका प्रस्तुत की गई है, जिसमें स्वयं भूमिधारी द्वारा अपीलार्थी का कब्जा–काश्त कदीम से होना साबित माना है। जब भूमिधारी स्वयं द्वारा अपीलार्थी का कब्जा–काश्त कदीम से होना और भूमि अपीलाण्ट अब्दल गफुर को आवंटन होना स्वीकार किया गया है ऐसी स्थिति में धारा 58 भारतीय साक्ष्य अनुसार स्वीकृत तथ्यों को साबित किए जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती है और स्वीकृत तथ्यों अनुसार वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी को आवंटन होना व कब्जा–काश्त होना साबित है इस कारण से तनकी संख्या एक को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से विवेचित करते हुए निर्णित की है। हमारी राय में तनकी संख्या एक पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के अनुसार अपीलार्थी के पक्ष में साबित होने से निर्णित की जाती है।

6. तनकी संख्या दो "आया वादग्रस्त आराजी की खातेदारी घोषणा, अधिकार वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है?" उक्त तनकी को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णित कर दी कि उपरोक्त भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 2473 को गौचर घोषित करते हुए प्रदर्श–8 म्यूटेशन 563 द्वारा ग्राम पंचायत के खाते में गौचर दर्ज कर दी गई है, जिसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई निगरानी, अपील नहीं की गई है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा की गई बहस और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् से यह साबित है कि किसी म्यूटेशन की अपील, निगरानी नहीं करने, किसी आदेश की अपील, निगरानी नहीं करने से धारा 88 के तहत खातेदारी घोषणा का वाद नहीं किया जा सकता हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि विधिक स्थिति यह है कि किसी भी आदेश या म्यूटेशन की अपील, निगरानी नहीं की जाने के बावजूद भी खातेदारी घोषणा के तहत दावा करने के अधिकार सुरक्षित रहते है और इस संबंध में दावा कभी भी किया जा सकता है। इस बाबत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2019(1) आर.आर.टी. 648, 2017(2) आर.आर.टी.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

1355, 2004 आर.आर.डी. 728, 2011(2) आर.आर.टी. 1298, 2018–19 आर.आर.टी. 553, 2016(2) आर.आर.टी. 1099, 2016–17 आर.आर.टी. 219, 2005 आर.आर.डी. 85, 87, 724 पूर्णरूपेण चस्पा होते हैं। चूंकि जिस समय अपीलाण्ट को यह भूमि आवंटन की गई थी, उस समय भूमि की किस्म बारानी होना स्वीकृत स्थिति है, भूमि वर्ष 1968 में आवंटन हुई है, जबकि गौचर वर्ष 1999 में की गई है ऐसी स्थिति में आवंटन के समय की स्थिति देखी जाएगी। पश्चात्वर्ती क्रम में भूमि की किस्म अगर बदल दी गई है तो वह अवैध है और उसके आधार पर अपीलार्थी को अपने विधिक हक–हकूक, अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में अपीलार्थी की ओर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत घाणेराव का प्रस्तुत हुआ है, जिसमें भी ग्राम पंचायत स्वयं ने भूमि को अपीलार्थी को आवंटन होना स्वीकार करते हुए गलती से ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज होना माना है और पुनः अपीलार्थी के नाम दर्ज किए जाने की अनुशंषा करते हुए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया है, जिसके आधार पर उक्त तनकी संख्या दो को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से निर्णित नहीं किया है और गलत रूप से अपीलाण्ट्स के विरुद्ध निर्णित किया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी संख्या दो वादीगण अपीलाण्ट्स के पक्ष में निर्णित की जाती है।

7. तनकी संख्या 3 "आया वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या दो के नाम गलत दर्ज की है?" उक्त तनकी को तनकी संख्या दो के साथ ही निर्णित किया जाना था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अलग से निर्णित करते हुए अलीग से अपीलार्थी के विरुद्ध इस आधार पर निर्णित की है कि उपरोक्त भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या दो ग्राम पंचायत के नाम गौचर के रूप में दर्ज है और अपीलार्थी वादीगण आदेश से व्यथित थे तो सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष गौचर के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जानी थी। इस संबंध में इस न्यायालय का यह मत है कि जब ग्राम पंचायत स्वयं द्वारा इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करते हुए भूमि को पुनः अपीलाण्ट्स के नाम दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

करने की अनुशंषा कर दी है और राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से ग्राम पंचायत के नाम दर्ज होना माना है। इसके अलावा भी उक्त वाद खातेदारी घोषणा का है तथा खातेदारी घोषणा का वाद आवंटन आदेश के आधार पर अमल–दरामद किए जाने हेतु पेश किया है। आवंटन के समय भूमि की किस्म बारानी होना स्वीकृत स्थिति है, जिसे करीब 30 साल बाद बारानी से गौचर की गई है। अपीलार्थी की आवंटनशुदा भूमि को बारानी से गौचर किए जाने वाले आदेश को धारा 88 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी घोषणा के वाद में चुनौती दी जा सकती है, जिसके संबंध में किसी प्रकार का कोई विधिक वर्जन नहीं है इस कारण से भी तनकी संख्या तीन को गलत रूप से निर्णित की है। तनकी संख्या तीन भी अपीलाण्ट्स वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

8. तनकी संख्या चार "आया वादीगण निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?" उपरोक्त तनकी तनकी संख्या एक से तीन के ऊपर निर्भर है। जब इस न्यायालय द्वारा तनकी संख्या एक से तीन वादीगण के पक्ष में निर्णित कर दी है और स्वयं भूमिधारी द्वारा ही इसी न्यायालय में अपीलाण्ट्स की अन्य अपील संख्या 42/10 में प्रेषित मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका में उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट्स का कब्जा व काश्त होना स्वीकार करते हुए कब्जा–काश्त कदीम से स्वीकृत माना है और भूमि को अपीलार्थी को आवंटन होना माना है। इस प्रकार जब स्वयं भूमिधारी द्वारा ही अपीलार्थी का कब्जा–काश्त होना स्वीकार कर लिया गया है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के कब्जे–काश्त में दखल नहीं किए जाने के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा बाबत डिक्री पारित किया जाना न्यायसंगत था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से अपीलार्थी के विरुद्ध तनकी को निर्णित किया है। उक्त तनकी भी अपीलार्थी के पक्ष में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य एवं दौराने बहस अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट अनुसार निर्णित की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

9. उपरोक्त समस्त तनकीयात के विवेचन अनुसार समस्त तनकीयात अपीलार्थी के पक्ष मे निर्णीत की जा चुकी है, तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का वाद विधिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाना है।

10. लिहाजा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाते है तथा अपीलार्थी का वाद को स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 11.07.1968 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक कार्यवाही विवरण जिसमे क्रम संख्या 14 पर अपीलांट के पिता अब्दुल गफुर पुत्र अहमद ग्राम घाणेराव को खसरा नंबर 349 रकबा 15 बीघा भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया, जिस पर आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यो के हस्ताक्षर है। उक्त आवंटन आदेश आदिनांक तक रेकर्ड के मुताबिक अस्तित्व में है। अत उक्त आवंटन आदेश के अनुसार अपीलांट को ग्राम घाणेराव के गत खसरा नंबर 349 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी द्वितीय वर्तमान खसरा नंबर 2473 में से प्रदर्श–1 नक्शे में मार्क अ,ब,स,द लाल रंग से दर्शित भूमि, जिसे भूमिधारी की मौका फर्द रिपोर्ट प्रदर्श–14 में दर्शित रकबा 2.40 हैक्टर भूमि की किस्म पुनः माफिक आवंटन आदेश बारानी दोयम मानते हुए खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण के आधिपत्य की घोषित की जाती है। अपीलांट्स के पक्ष में एवं रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि उपरोक्त भूमि में अपीलाण्ट्स के कब्जे–काश्त, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का दखल, बाधा, रूकावट उत्पन्न नहीं करे, न ही अन्य से करावें। माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

डिक्री ब सीगे अपील

(ऑर्डर 41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceedure Code, Appendix "4"9)

पीठासीन अधिकारी : श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/निर्णय व डिक्री/101/2017

मृत अब्दुल गफुरजी के वारिसान :–

1. मुस्मात हसीना बानो पत्नी नूर मोहम्मदजी
2. इमरान पुत्र नूर मोहम्मदजी
3. मोहम्मद सलीम पुत्र अब्दुल गफुरजी
4. मेहबूब मोहम्मद पुत्र अब्दुल गफुरजी

जातिगण मुसलमान निवासीगण घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली

..... अपीलार्थीगण

ब ना म

1. राज. सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी
2. ग्राम पंचायत जरिए सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली।

..... रेस्पोडेण्ट्स

अपील संख्या 101/2017 बनाराजगी निर्णय व डिक्री अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी दिनांक 18.5.17 बमुकदमा राजस्व वाद संख्या 110/08 दावा बाबत 88, 89, 188, 92ए राज. टिनेन्सी एक्ट

यह अपील बतारीख 20/03/2020 को रूबरू हमारे व बहाजिर श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी, रेस्पोडेण्ट संख्या एक सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेण्ट संख्या दो बाद तामील अनुपस्थित है, समायत होकर हुक्म हुआ कि लिहाजा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाते है तथा अपीलार्थी के वाद को स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थी को ग्राम घाणेराव के गत खसरा नंबर 349 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी द्वित्तीय वर्तमान खसरा नंबर 2473 में से प्रदर्श–1 नक्शे में मार्क अ,ब,स,द लाल रंग से दर्शित भूमि, जिसे भूमिधारी की मौका फर्द रिपोर्ट प्रदर्श–14 में दर्शित रकबा 2.40 हैक्टेयर भूमि की किस्म पुनः माफिक आवंटन आदेश बारानी दोयम मानते हुए खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण के आधिपत्य की घोषित की जाती है। अपीलाण्ट्स के पक्ष में एवं रेस्पोडेण्ट्स के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि उपरोक्त भूमि में अपीलाण्ट्स के कब्जे–काश्त, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का दखल, बाधा, रूकावट उत्पन्न नहीं करें, न ही अन्य से करावें। माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर, मुहर अदालत आज तारीख 20/3/2020 को जारी किया गया।

मुहर अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली (राज.)